मण्डल:- बस्ती,जनपद:- सन्तकबीर नगर,तहसील:- धनघटा
न्यायालय उपजिलाधिकारी
वाद संख्या:- 2582/2021
श्रीताराचन्द स्नातक महाविद्यालय प्रबन्धक भालचन्द पाठक बनाम
उ0प्र0सरकार
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202117650102582
अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथि:- 15/07/2021

अंतिम आदेश

प्रश्नगत वाद श्रीताराचन्द स्नातक महाविद्यालय मिठना-सिठना प्रबन्धक भालचन्द पाठक पुत्र शिवव्रत साकिन धनघटा तप्पा महुली परगना महुली पूरब तहसील धनघटा द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 01.01.2021 प्रस्तुत किया गया। दावा प्रार्थनापत्र आर0सी0 प्रपत्र-25 मे उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रस्तुत है। वादी ने अपने दावा प्रपत्र के साथ ग्राम मिठना-सिठना तप्पा कोचरी की नकल खतौनी संलग्न कर गाटा 180/0.017, 182/0.072, 176स/0.030 है0 का 7/8 भाग व गाटा सं0 185/0.062, 186/0.058 का 2/3 भाग व गाटा सं0 175ख/0.675, 176/0.052 का 1/3 भाग व गाटा सं0 178/0.051, 175क/0.068, 177/0.251 है0 व गाटा सं0 179/0.090, 181/0.069, 187/0.364 है0 अकृषिक भूमि घोषित करने के अनुरोध के साथ उल्लेख किया है कि उक्त भूमि पर विद्यालय का भवन व बाउन्ड्रीवाल बना है जो व्यवसायिक प्रयोग की है। भूमि जोती बोई नही जाती है जिससे पूर्णतया अकृषिक हो चुकी है। उक्त के आधार पर आवेदक द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 धारा 80 के अन्तर्गत उक्त आराजी को कृषियेत्तर घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण की जाँच नायब तहसीलदार धनघटा से करायी गयी । नायब तहसीलदार धनघटा ने अपने रिपोर्ट दिनांक 30.01.2021 में उल्लेख किया है कि ग्राम मिठना-सिठना तप्पा कोचरी स्थित गाटा 180/0.017, 182/0.072, 176स/0.030 है0 का 7/8 भाग व गाटा सं0 185/0.062, 186/0.058 का 2/3 भाग व गाटा सं0 175ख/0.675, 176/0.052 का 1/3 भाग व गाटा सं0 178/0.051, 175क/0.068, 177/0.251 है0 व गाटा सं0 179/0.090, 181/0.069, 187/0.364 है0 भूमि पर विद्यालय का भवन व बाउन्ड्रीवाल बना है जो व्यवसायिक उपयोग की है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही होता है। भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति सहित रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व नायब तहसीलदार धनघटा की आख्या दिनांक 13.05.2021 के क्रम में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि ग्राम मिठना-सिठना तप्पा कोचरी स्थित गाटा 180/0.017, 182/0.072, 176स/0.038 है0 का 7/8 भाग व गाटा सं0 185/0.062, 186/0.058 का 2/3 भाग व गाटा सं0 175ख/0.675, 176ख/0.052 का 1/3 भाग व गाटा सं0 178/0.051, 175क/0.068, 177/0.251 है0 व गाटा सं0 179/0.090, 181/0.069, 187/0.364 है0 भूमि पर विद्यालय का भवन व बाउन्ड्रीवाल बना है जो व्यवसायिक उपयोग की है। भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आवेदक द्वारा ग्राम मिठना-सिठना तप्पा कोचरी के सामान्य कृषि दर रूपया 48,00,000.00 प्रति हेक्टेयर के निर्धारित शुल्क एक प्रतिशत चालान सं0 बी0 300026/03.02.2021 से रू0 52000.00 (बावन हजार रू0 मात्र) न्याय शुल्क तथा सं0 बी0 300025/03.02.2021 से रू0 1000.00 (एक हजार रू0 मात्र) उद्घोषणा शुल्क जमा किया गया है। प्रश्नगत भूमि का भू0रा0 क्रमशः 1.50, 1.02, 5.50, 9.25, 11.60 रू0 निरस्त कर उ0प्र0 राजस्व संहित 2006 धारा 80 के अन्तर्गत भूमि प्रविष्टि कृषियेत्तर किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम मिठना-सिठना तप्पा कोचरी स्थित गाटा 180/0.017, 182/0.072, 176स/0.030 है0 का 7/8 भाग व गाटा सं0 185/0.062, 186/0.058 का 2/3 भाग व गाटा सं0 175ख/0.675, 176/0.052 का 1/3 भाग व गाटा सं0 178/0.051, 175क/0.068, 177/0.251 है0 व गाटा सं0

179/0.090, 181/0.069, 187/0.364 हे0 भूमि व्यवसायिक प्रयोग की होने के कारण श्रीताराचन्द स्नातक महाविद्यालय प्रबन्धक भालचन्द पाठक पुत्र शिवव्रत के नाम अंकित भू0रा0 क्रमशः 1.50, 1.02, 5.50, 9.25, 11.60 रु0 निरस्त करते हुए अकृषिक (कृषि उद्यानकरण अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है से असम्बद्ध प्रयोजन हेतु) घोषित किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति निःशुल्क निबन्धन हेतु उप निबन्धक धनघटा को भेजी जाय। आदेश अनुपालन जब भी नयी खतौनी निर्मित हो विवरण के कालम में अंकित होता रहेगा। परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अनुपालन पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

15/07/2021

(योगेश्वर सिंह)
उप जिलाधिकारी
धनघटा,संत कबीर नगर।